

अनिल कुमार

अतिरिक्त विभाग, आर.पी.जी.ओ.सी.ओ.के.ए.  
मो.रा.जी.ओ.सी.ओ.के.ए.

सिद्धिदायक सिद्धांत

भूमि अनुदान - पूर्व मध्यकाल की एक व्यवस्था

प्रारंभिक एवं पूर्व मध्य काल के इतिहास में, भारत में ग्रन्थ अनुदान की परम्परा एक नये बड़लात एवं व्यवस्था की ओर आवृत्त होते दिखाई देती हैं। प्रारंभिक मध्यकाल के साहित्य और अभिलेख ग्रन्थ-अनुदान के महत्ता के लंबे-चोड़े प्रमाणों से भरे-पड़े हैं। इतिहासकार अध्ययन की सुविधा के लिए इस कालखण्ड को दो भागों में बाँटते हैं (1) अर्धव्यवस्था का काल और (2) भारतीय-अर्धव्यवस्था का पुनरुत्थान का काल।

प्राचीन काल के साहित्य और अभिलेखों में कहा गया है कि दानदाता अपने तथा अपने पितरों के नैसर्गिक कल्याण के लिए ब्राह्मणों को भूदान और देवालयों का निर्माण कराया था। निःस्वार्थी और इनी ब्राह्मणों को शिक्षा, ज्ञान और धर्म के प्रचार के लिए भू-अनुदान दिया जाता था। इससे प्राचीन काल के ब्राह्मण जो अपने को यज्ञ, पूजापाठ और शिक्षा दान को दक्षिणा पर आध्यात्म रखते थे, भू अनुदान से भूस्वामी बनने लगे। देवालय और मठों के पास बड़ी-बड़ी संपत्तियाँ होने लगीं। अतः समाज में एक नया भूस्वामी वर्ग उत्पन्न हुआ। इसी नये भूस्वामी वर्ग के लिए भूदान की विचारधारा गढ़ी गई और उसे सभी प्रकार के <sup>आर्थिक</sup> दाय से भी मुक्त रखा गया।

और उन्हें बकरार रखने के लिए बड़ा-बड़ा मुहू लड़ता था और हजारों लोगों का वध कर उसके बिलखते परिवार को अपनी रत्ना के झूप के नीचे रखीच लाता था। इस अपराध बोधा से मुक्ति का दर्शन भूअनुदान, स्वर्णदान, अभिषेकदान की परंपरा को ब्राह्मणों ने जन्म दिया था। इस तरह ब्राह्मण और देवता (आनी पुरोहित) को दान है पाप से मुक्ति की विचार-धारा प्रारंभिक महाभुग में सर्वमान्य बना दिया गया। फलतः धनवानों के बीच से पाप का भय दान के द्वारा समाप्त कर ब्राह्मण और देवालय मालामाल होने लगा। पाप का भय सिर्फ गरीबों में रह गया। भूदान

को सबसे बड़ा दान दखाने के लिए चर्मरुंगों में कहा गया था कि भूदान  
16 हजार वर्ष तक स्वर्गवास करेगा। पुराणों और महाकाव्यों में स्वर्ग का  
लोभ और नरक का भय दिखलाया गया, ताकि चतुर्हीन भी स्वर्ग भूख  
नंगा रहकर दान करे।

इस प्रकार प्रारंभिक मध्यकाल में तीन प्रकार  
के भू-अनुदान पाये जाते थे। (क) अग्रहार (ख) ब्रह्मदेय और (ग) देवदान  
या परिहार।

प्रथम प्रकार का भू-अनुदान राज्य की सेवकों को  
वेतन के बदले दिया जाता था। बिहार, बंगाल, मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं  
गुजरात आदि से प्राप्त भू-अनुदान पत्रों से बात हुआ है कि अग्रहार  
गुप्तकाल से शुरू होकर प्रारंभिक मध्यकाल में विष्णु के उतर के  
राज्यों में काफी प्रचलित हो गया था और राज्य के मंत्रियों से लेकर  
सैनिक सेवा करने वाले तथा अन्य कर्मचारियों को राजगुरु मुक्त भूमि  
दिया जाता था। ऐसा भू-अनुदान राजपारिवार और उसके रिश्तेदारों को  
भी दिया जाने लगा था। फलतः राजकर्मचारी, राजपारिवार के लोग, बड़े-  
बड़े सामन्त आदि बड़े-बड़े भूस्वामी होने लगे और दानशाली के जमीन पर  
बसने वाला लोग तथा किसान उसका रैयत या भूदास होने लगा।

द्वितीय प्रकार का भू-अनुदान ब्रह्मदेय भूमि  
ब्राह्मणों को दिया जाता था। पहले यह भू-अनुदान वैदपाठी ब्राह्मणों को  
उन ग्रंथों के पाठ को हमरण रखने तथा उसका वाचन सुनाने के लिए  
दिया जाता था (हर्ष का बौलखेरा ताम्रपत्र अभिलेख)। किन्तु प्रारंभिक मध्य  
काल में कर्मकाण्डी पुरोहितों को भी ब्रह्मदेय भूमि दिया जाने लगा था।  
यह दान कुछ बीघे जमीन तक सीमित होता था। किन्तु यह राजस्व करमुक्त  
(12 वर्ष की छूट) सहित भा करद दोनों हुआ करता था। कर सहित भू-  
अनुदान प्रायः मैदानी भाग में प्रचलित था। दिघरा क्षेत्र (झोपी) में नर्मदा  
नदी के सीमरत से नये-नये जमीन उपलब्ध हो रहे थे। अतः ~~ये~~